

-५-

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

फैट - १८८ - I - १६

आवेदक

श्री रामलाल गौड़, उम्र 50 वर्ष, आत्मज श्री धनीराम गौड़  
(जाति गौड़) आदिवासी निवासी—ग्राम गुनहरी, तहसील  
धंसौर व जिला सिवनी (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदक

म.प्र. शासन

द्वारा — कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध  
आदेश कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्र.क्र. 318 / अ-21 / 2012-13

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :-

१. १. यह कि आवेदक की मौजा टींगन नं.बं. 192 प.ह.नं. 40, रा.नि.मं.  
बरगी तह. व जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 43/1 रकवा 1.00 हेक्टेयर,  
ख.नं. 399 रकवा 0.710 हेक्टेयर, ख.नं. 414/1 रकवा 0.30 हेक्टेयर, ख.नं.

419/1 रकवा 0.270 हेक्टेयर, ख.नं. 431/1 रकवा 0.270 हेक्टेयर, ख.नं.

463/1 रकवा 0.620 हेक्टेयर, ख.नं. 465/1 रकवा 0.580 हेक्टेयर, ख.नं.

510/1 रकवा 1.400 हेक्टेयर, ख.नं. 504 रकवा 1.880 हेक्टेयर, कुल

रकवा 7.06 हेक्टेयर एक फसली झाड़-पेड़ों से मुक्त खेतों के बीचोंबीच  
मौजा टींगन तह. व जिला जबलपुर में स्थित है। जिसके समस्त भू राजस्व

अभिलेखों में आवेदक का नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है। इसी

अधिकार व हैसियत से मुझ आवेदक के द्वारा क्रेता श्री अयोध्या त्रिपाठी

पिता स्व. श्री राममिलन त्रिपाठी मैनेजिंग डायरेक्टर सतपुड़ा इन्फ्राकॉन प्राय.

लिमि. निवासी गढ़ा जैन मंदिर के पीछे, जबलपुर वालों से भूमि के विक्रय

का सौदा अनुबंध पत्र के माध्यम से तय किया था। वर्तमान में श्री अयोध्या

त्रिपाठी भूमि क्रय करने के इच्छुक नहीं है। किंतु उनके रथान पर श्रीमति

माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या त्रिपाठी उम्र लगभग 67 वर्ष निवासी-516,

गढ़ा, जबलपुर भूमि क्रय करने की इच्छुक है तथा उनके द्वारा वर्तमान

गाईड लाईन मूल्य पर भूमि क्रय करने की सहमति दी गई है। अतः श्रीमति

माया त्रिपाठी को भूमि विक्रय कर प्रार्थी पूर्व की भाँति अपने कर्ज चुका

पायेगा तथा श्री अयोध्या त्रिपाठी से लिये गये भूमि के व्याना राशि की

वापिसी भी कर देगा। अतः तदानुसार अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

तदी निवासी अनुमति  
माया सी १९८१



XXXIX(a)BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1155-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-4-16	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 318/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12-2-14 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 12-2-14 के विरुद्ध पेश की गई जो विलंब से प्रस्तुत है । निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक कम पढ़ा लिखा आदिवासी व्यक्ति है जिसे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन के अंतिम के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर वह निरंतर इस असमंजस्य में रहा कि उसका प्रकरण अभी विचाराधीन है । जब वह मार्च-2016 में कलेक्टर कार्यालय में जानकारी लेने गया तब ज्ञात हुआ कि उसका आवेदन निरस्त किया जा चुका है तब उन्होंने दिनांक 17-3-2016 को आवेदन पेश कर लोक सूचना अधिनियम के तहत अधीनस्थ ब्यायालय के अभिलेख के प्रकरण की नकलें प्राप्त की गई तब उसे प्रकरण निरस्त किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई । आवेदक द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि राजस्व मंडल, माननीय उच्च ब्यायालय एवं माननीय उच्चतम ब्यायालय द्वारा अनेक व्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकी आधार पर मामला खारिज नहीं किया जाना चाहिए - उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिए गए तर्कों के समर्थन</p>	

*B/S**M*

-3-

## रामलाल गौड़ विरुद्ध मोप्र०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पश्चात्यां एवं अधिकारी आदि के हस्ताक्षर
	<p>मैं अपना शपथपत्र भी पेश किया गया है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा बताए गए विलंब के आधार सद्भाविक मान्य करने हेतु विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। अतः विलंब क्षमा किया जाता है।</p>	
	<p>3/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें उसके द्वारा मौजा टीगन नं० बं० 192, प०५०न० 40 रा०नि०मं० बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 43/1, 399, 419/1, 431/1, 463/1 465/1, 510/1 एवं खसरा नं. 504 रकबा कमश्त: 1.00, 0.710, 0.30, 0.270, 0.270, 0.620, 0.580, 1.400 एवं 1.880 हैक्टर कुल रकबा 7.06 हैक्टर को गैर आदिवासी सतपुड़ा इन्फोकॉम प्रा. लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी पिता स्व० राममिलन त्रिपाठी निवासी गढ़ा जैन मंदिर के पीछे तहसील व जिला जबलपुर को को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर द्वारा इस आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है कि उसके पास संहिता की धारा 165 के प्रावधानों में उल्लिखित अनुसार भूमि शेष नहीं बच रही है। इस संबंध में आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि कलेक्टर का भूमि शेष नहीं बचने संबंधी निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि आवेदक के पास ग्राम गुनहगी में 4.23 हैक्टर भूमि शेष बचती है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार, को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम</p>	

BB

MM

## XXXIX(a)BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, रवालियर

प्रकरण क्रमांक - निग० 1155-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त तहसीलदार ने जो प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है उसमें यह उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है। अतिरिक्त तहसीलदार ने यद्यपि अपने प्रतिवेदन में आवेदक के पास अन्य कोई भूमि शेष न बचने की बात कही गई है और उसी आधार पर कलेक्टर ने आदेश पारित किया है जबकि जो राजस्व अधिलेख आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं उनके अनुसार आवेदक के पास ग्राम गुनहगी में 4.23 हेक्टर भूमि शेष बचती है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ व्यायालय का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण एवं व्यायिक प्रतीत नहीं होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने निगरानी आवेदन एवं तर्कों में यह निवेदन किया गया है कि प्रस्तावित केता अब भूमि क्रय करने के इच्छुक नहीं है और अनुबंध के समय दी गई राशि की वापिस किये जाने की मांग कर रहे हैं और चूंकि अन्य व्यक्ति श्रीमती माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी निवासी 516, गढ़ जबलपुर प्रश्नाधीन भूमियां क्रय करने को इच्छुक हैं तथा वर्तमान गाईड लाइन मूल्य देने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें श्रीमती माया त्रिपाठी को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। विचारोपरांत उनका अनुरोध व्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। आवेदक का यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि चूंकि आवेदक सिवनी जिले में निवास करता है और आवेदित भूमियां जबलपुर जिले में स्थित हैं जो निवास स्थान से काफी दूर निवास करता है जिससे कृषि करने में कठिनाई आती है। चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि आवेदक के पास ग्राम गुनहगी में</p>	

निग. - ११५५ - I/16 (ठिकाने)  
- ८ -

रामलाल गौड़ विलास मोप्र० ३

देशांत तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अंग  
आदि के हस्ताक्षर

4.23 हैक्टर भूमि शेष बचती है और विक्रय की अनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ व्यायामलय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा टीगन नं० ८० २५१, प०८०न० ४० रा०नि०म० ४० बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर ४३/१, ३९९, ४१९/१, ४३१/१, ४६३/१ ४६५/१, ५१०/१ एवं खसरा नं. ५०४ रक्खा कमश्वा: १.००, ०.७१०, ०.३०, ०.२७०, ०.२७०, ०.६२०, ०.५८०, १.४०० एवं १.८८० हैक्टर कुल रक्खा ७.०६ हैक्टर को श्रीमती माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी निवासी ५१६, गढ़ जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

- 1- यदि प्रस्तावित केता चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।
- 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अंग्रेजी राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।
- 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से ४ माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।

निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

(एम०क० सिंह)  
सदस्य,  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, व्यालिंगर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1155-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पश्चात्याख्यात अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16-08-16	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया। आवेदक तथा उपरिथित शासकीय अधिवक्ता श्री ही. एन. त्यागी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि इस व्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 27-4-16 को आदेश पारित कर आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 4 के अनुसार 3 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है। आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि इस व्यायालय के आदेश के अनुपालन में वे समस्त दस्तावेजों सहित उप पंजीयक के समक्ष उपरिथित हुए तब उप पंजीयक द्वारा बताया गया कि जिलाध्यक्ष द्वारा विक्रय अनुमति वाले प्रकरणों के विक्रयपत्र के निष्पादन पर रोक लाई गई है, जब आवेदक ने उन्हें कलेक्टर का आदेश देने को कहा तो एक माह पश्चात उप पंजीयक ने कलेक्टर (आर.डी.एम.) शाखा का पत्र दिनांक 19-7-16 देकर विक्रयपत्र निष्पादन से इंकार किया और कहा कि वे विक्रयपत्र निष्पादन के आदेश जिलाध्यक्ष से लायें। इस कारण से इस व्यायालय के आदेश की अवधि दिनांक 27-7-16 को समाप्त हो गई है। उक्त आधार पर उनके द्वारा 3 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिये जाने का अनुरोध किया गया। शासकीय अधिवक्ता को उक्त आवेदन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए व्यायाहित में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक को विक्रयपत्र निष्पादित कराने हेतु 3 माह का समय व्यायाहित में और प्रदान किया जाता है।</p>	 <span style="position: absolute; left: 650px; top: 750px;">सदर्य</span> 